उप सम्भागीय परिवहन कार्यालय, बिजनौर

पत्रांक– 147 /अधि0/स0सु0/2020–21 दिनांक 17.06.2020

अधिसूचना

चूकि केन्द्रीय मोटरवाहन अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या 59, 1988) के धारा–112 की उपधारा (2) में प्राविधानित है कि राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जनता की सुरक्षा, सुविधा या किसी सड़क अथवा पुल के खराब होने के कारण जनहित में मोटरयानों/विभिन्न श्रेणी के मोटरयानों की उक्त धारा की उपधारा (1) के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम गति सीमा को उक्त कारणों से संतुष्ट होने पर प्रतिबंधित किया जा सकता है,

और जहां उक्त अधिनियम की धारा–112 की उपधारा (2) के प्राविधानों के अनुसरण में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश मोटरयान–1998 के नियम 178 द्वारा जनपद के रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी/सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, को नगरीय निकायों की अधिकारिता क्षेत्र को छोड़कर अन्य क्षेत्रों की अधिकारिता क्षेत्रों के भीतर यान की श्रेणी या श्रेणियों की उपधारा (1) के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या 1377 दिनांक 06.04.2018 द्वारा निर्धारित अधिकतम गति सीमा को जनहित में उपर्युक्त प्राविधानों के दृष्टिगत संतुष्ट होने पर प्रतिबंधित करने का अधिकार प्रदत्त किया गया है,

अतः मोटरयान अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या–59, 1988) की धारा 112 की उपधारा (2) के साथ पठित उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली 1988 के नियम–178 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिजनौर जनपद होकर निकले/चलने वाले नगरीय निकायों की अधिकारिता क्षेत्र को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में मार्गों या मार्गों के अंश पर संचालन हेतु श्रेणीवार वाहनों की अधिकतम गति सीमा निम्नलिखित तालिकानुसार निर्धारित की जाती है–

क्र0 सं0	मार्ग का नाम एंव सख्या	स्थान (कहाँ से कहाँ तक) जहाँ गति निबंधित रहेगी	यान की श्रेणी अनुसार निबंधित कर निर्धारित गति सीमा			
			टू व्हीलर/थ्री व्हीलर (कि0मी0 में)	चालक सहित 7 सीटों तक वाले यात्रीयान	चालक सहित 8 से 12 सीटों तक वाले यात्रीयान	समस्त मालयान एवं स्तंभ 4,5 एवं 6 को छोड कर अन्य समस्त यात्रीयान
1.	राष्ट्रीय राजमार्ग मेरठ–पोड़ी मार्ग (1) (एन0एच0–119)	गंगा बैराज से नजीबाबाद–कोटद्वार बॉर्डर तक	40	60	60	50
2	राष्ट्रीय राजमार्ग हरिद्वार–काशीपुर मार्ग (2) (एनएच 74)	हरिद्वार नजीबाबाद बॉर्डर से वाया धामपुर– रेहड तक	40	60	60	60

3	प्रादेशिक राजमार्ग बिजनौर–काशीपुर–खटीमा मार्ग (1)	चान्दपुर चुंगी बिजनौर से वाया धामपुर से रेहड तक	40	60	60	60
4	प्रादेशिक राजमार्ग बिजनौर से चान्दपुर मार्ग (2)	चांदपुर चुंगी बिजनौर से बबनपुर पुलिस चौकी तक	40	60	60	60
5	प्रादेशिक राजमार्ग बिजनौर से नूरपुर मार्ग (3)	कृष्णा कालेज बिजनौर से ग्राम सैदपुर तक	40	60	60	60
6	प्रादेशिक राजमार्ग नहटौर नूरपुर अमरोहा जोया मार्ग (4)	नहटौर से फीना तक	40	60	60	60
7	प्रादेशिक राजमार्ग नूरपुर स्योहारा ठाकुरद्वारा मार्ग (5)	नूरपुर से स्योहारा तक	40	60	60	60
8	बिजनौर–कोतवाली जनपद मार्ग (1)	बिजनौर से कोतवाली तक	40	60	60	60
9	धामपुर–नूरपुर मार्ग (2)	धामपुर से नूरपुर तक	40	60	60	60
10	चान्दपुर–फीना मार्ग (3)	चान्दपुर से फीना तक	40	60	60	60
11	नहटौर–पैजनिया–चान्दपुर मार्ग (4)	नहटौर से चान्दपुर तक	40	60	60	60
12	झालू–नहटौर मार्ग (5)	झालू से नहटौर तक	40	60	60	60
13	बिजनौर–मण्डावर–मण्डावली मार्ग (6)	बिजनौर से वाया मण्डावर, मण्डावली तक	40	60	60	60

गति सम्बन्धी उपरोक्त प्रतिबंध निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रभावी होगा–

1. मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–116 में विनिर्दिष्ट साइन बोर्ड प्रतिबंधित स्थान के दोनों छोर–प्रारम्भिक एवं अंतिम बिन्दु पर तथा मध्य में भी भी जगह जगह पर आई0आर0सी0 कोड के मानक अनुसार सम्बन्धित सड़क के स्वामित्व वाले विभाग द्वारा इस प्रकार लगाया जायेगा कि वाहन चालकों को इसकी जानकारी व ज्ञान हो सके तथा वे रात्रि में भी चमके इसके लिये रेट्रो–रिफ्लेक्टिव टेप का प्रयोग किया जायेगा।
2. उक्त प्रतिबन्ध केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 में विनिर्दिष्ट निम्न प्रकार के वाहनों पर लागू नहीं होगा–
   - अग्नि शमन वाहन
   - एम्बुलेंस
   - पुलिस वाहन
   - कानून एवं व्यवस्था बनाये रखने में लगे सैन्य बल तथा अर्ध सैन्य बल के लिये प्रयुक्त होने वाले वाहन
   - प्राकृतिक आपदा के प्रबन्धन के लिये प्रयुक्त वाहन।

3. उपरोक्त तालिका के कॉलम–3 में उल्लिखित स्थानों को छोड़कर जनपद के सभी मार्गो के अन्य क्षेत्रों (नगरीय निकायों की अधिकारिता को छोड़कर) में मोटरयान अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या–59, 1988) की धारा 112 की उपधारा (1) के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा जारी की गयी अधिसूचना संख्या 1377, दिनांक 06.04. 2018, समय–समय पर यथा संशोधित, द्वारा निर्धारित अधिकतम गति सीमा यथावत लागू रहेगी।

भवदीय

सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी
(प्रशासन) / रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी,
जनपद बिजनौर।

प्रतिलिपि – निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. परिवहन आयुक्त, उ0प्र0।
2. अपर पुलिस महानिदेशक (यातायात), यातायात निदेशालय, उ0प्र0।
3. जिलाधिकारी, बिजनौर।
4. पुलिस अधीक्षक, बिजनौर।
5. पुलिस उपाधीक्षक यातायात, बिजनौर।
6. निदेशक, छपाई, एवं मुद्रण सामग्री, राजकीय प्रेस, ऐशबाग, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ कि उक्त अधिसूचना को राज्य सरकार के प्रकाशित होने वाले सरकारी गजट में प्रकाशित करने का कष्ट करें।
7. राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (पूर्वी / पश्चिमी), लखनऊ, उ0प्र0।
8. सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), मुरादाबाद।
9. सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन), मुरादाबाद।
10. सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन), बिजनौर।
11. अधिषाशी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड / निर्माण खण्ड–1 / निर्माण खण्ड–3, लोक निर्माण विभाग, बिजनौर।
12. जिला सूचना अधिकारी, बिजनौर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त अधिसूचना जनपद के समस्त समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशन कराने का कष्ट करें।

सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी
(प्रशासन) / रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी,
जनपद बिजनौर।